

देवता,

एच०यो० लिंग

दिशेश सहित

उप्र० शासन।

संघ में,

विदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उप्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्नति कार्यक्रम विभाग।

दिवय:- शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मण्डिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-रामपुर के निकाय-टाण्डा में 263 इन-सीट आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3416/101/10/छ./विधि/आसरा/तकनीकी(रामपुर-टाण्डा-263) दिनांक 16 दिसंबर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मण्डिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-रामपुर की निकाय-टाण्डा की 263 इन-सीट आवासों की 01 परियोजना हेतु रु 1388.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित तालिका के स्थान्का-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रु 555.392 लाख (रुपये दाँच करोड़ पचपन लाख उनतालीस हजार दो सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित राती/प्रतिवर्द्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत	के हेतु प्रथम किशत (40 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज वार्ज एवं लेवर से सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर/ टाण्डा	263	1388.48	263	1388.48	555.392
गोम				263	1388.48	555.392

- उक्त धनराशि का वर्ग वर्ष आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/ध्यादस्था का पूर्णाङ्ग अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रशंसन वार्ष द्वारा द्वारा करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित ध्यादस्था के अनुसार प्रायोजना पर सालम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राप्तिकरण/सकार लोकल उथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैभानिक आपत्तियों एवं एर्यानरणीय विलगरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रीमीय/प्र० डॉ लैला, /EE

4. उपरोक्त दो दस्तावेजों का एवं उनके सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिया गया दोष विभाग द्वारा निर्णय द्वारा दोषी के अधीन लागू करने विभिन्न अदान द्वारा दिया जायेगा। इन दस्तावेजों का अधिकारी द्वारा दिया गया दोष विभाग द्वारा निर्णय द्वारा दोषी के अधीन लागू करने विभिन्न अदान द्वारा दिया जायेगा।
5. उपर दस्तावेजों द्वारा दिया गया दोष विभाग द्वारा निर्णय द्वारा दोषी के अधीन लागू करने विभिन्न अदान द्वारा दिया जायेगा। इन दस्तावेजों का अधिकारी द्वारा दिया गया दोष विभाग द्वारा निर्णय द्वारा दोषी के अधीन लागू करने विभिन्न अदान द्वारा दिया जायेगा।
6. सुडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत दिये जा रहे हुए वर्षे हेतु विभिन्न अदान द्वारा किसी अन्य रोने से खंगाली स्वीकृत बही की जरी है जबकि यह यहां पर्याप्त नहीं है। यह दोष विभाग द्वारा दिया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि आण्टित परिवर्यग के अन्तर्गत विभिन्न अदान द्वारा दिया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-वर्दे कर्वे द्वारा, शर्मा के आकार द्वारा द्वारा अन्य विशेषित इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का दौरा भवुभौद्ध द्वारा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुभोटि, लाभी की कार्यदाता सम्पत्ति द्वारा दिया जायेगा। विभिन्न वरदे के पूर्व विभूत डिजाइन/ट्राइंग वरदे में अन्य प्रायोजन लागत में 10 लाख रुपये विभिन्न वरदे हीनी है तो इन विभिन्न में पुनरीक्षित प्रायोजन धनराशि पर 03 लाख के अद्वारा व्यवहार विभिन्न वरदे के पुनरीक्षित प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता अन्य वरदे में पुनरीक्षित प्रायोजन धनराशि के प्रदान, एवं दिवार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व १५-सौ द आवासों के भूरखातिए के भूरखातिए व रुपराशि अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. एडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुभोटि इसका दोषान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित आनंदीकरण के अनुसार ही आवास द्वारे जाये व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि दैन के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। दैन एवं आवासों सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणात् आदि, विभुभौद्ध सहित यथार्थेभित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्पाल सम्बन्धी एडा/इडा माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर श्री उच्चानुसार राष्ट्री परिवर्यग पर आश्वस्त हो जाएगी।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उपरोक्त लक्ष्यनाम सम्बन्धी सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नतन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उपरोक्त इताहाकाद की भाषें की प्रति के साथ कोजगार का नाम, बाऊदर संघर्ष, विधि तथा लोक शीर्षक की घूटना एवं ये भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर दैन/डिविड/डिपोजिट वाले व दील्हासोनी व गढ़ी राष्ट्री जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा विधिभित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा विधिभित शर्तों का अनुपालन ही एकीकृत किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की राष्ट्री शासी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कसेन्डर अदश्य करा किया जाए। योजनान्तर्गत प्रथम विश्व के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्याप ही जाले के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता में संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्राप्त करा

शासन का राय से उपराख्य करता जायेगा। तदपरान्त योजना की 40 प्रतिशत धनराशि द्वितीय विश्व के रूप में अदमुक्त की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय विश्व की सम्बन्धित धनराशि के 75 प्रतिशत का उपराख्य होने पर 15 प्रतिशत धनराशि तृतीय विश्व के रूप में अदमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की वैत्तिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथात्तिथि, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापति किये जाने के पश्चात ही द्वितीय एवं तृतीय विश्व की धनराशि जारी की जायेगी। पारियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बकाया 5 प्रतिशत की अवशेष धनराशि जारी की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकनुश्वेत शासन को दापस करनी होगी।

15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की घर्षन्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (ए०००००५०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्याय चानू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आव-व्यवक में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-८००-अन्य व्यय-०३-आसरा योजना (आवासीय भवन)-२४-बूल्द निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह अद्वेत वित्त विभाग के अश० संख्या-६-३-१८१७/दस-२०१५ दिनांक 23 जून, 2015 में द्रावत उल्लिखन से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
hps
 (ए०००५० सिंह)
 विशेष सचिव।

फैला-५६७/२०१५/९३५(1)/६३-१-१४, द्वितीय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित वो सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०,२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिद्धिल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. निलायिकारी/अध्यक्ष, निलायिकारी विकास अभिकरण, रामपुर।
5. वित्त (व्यव-जियेवन) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक देव डास्टर, सूडा को विभागीय देव साइड पर अपतोड कराने हेतु।
10. आई फोड़स/लम्प्यूटर सहायक/इंजट समन्वयक।

आज्ञा से।
hps
 (ए०००५० सिंह)
 विशेष सचिव।